



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग
अस्थाई प्रखण्ड-डीडीहाट (पिथौरागढ़)।



फोन नं० / फैक्स नं०-05964 232065

email- resdidihat@gmail.com

पत्रांक 685/ग्रा०नि०वि०/हैलीपैड/2023-24,

दिनांक:-26/08/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़।

विषय:-

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में गा०मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 314/2018 के क्रम में डीडीहाट (ग्राम ननपापो) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 है० वन पंचायत भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, अस्थाई प्रखण्ड डीडीहाट को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक महानिरीक्षण (वन) भारत सरकार के पत्र सं० 08बी/यू०पी०सी०/09/39/2023/एफ०सी०/86, दिनांक 28.04.2023 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 337, दिनांक 23.06.2023 द्वारा प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया था। वन संरक्षक, उत्तरी वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा के कार्यालय पत्र संख्या 264/12-1-(2) अल्मोडा, दिनांक 28.07.2023 के क्रम में इस कार्यालय का प्रत्यावेदन पुनः इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त निर्माण कार्य हेतु वन भूमि पर पुनः विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
अस्थाई प्रखण्ड-डीडीहाट।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि:-1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उनके कार्यालय पत्रांक 2540, दिनांक 09 मई, 2023 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- वन संरक्षक, उत्तरी वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा को उनके कार्यालय पत्रांक 264/12-1-(2) अल्मोडा, दिनांक 28.07.2023 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
अस्थाई प्रखण्ड-डीडीहाट।

प्रत्यावेदन

कार्यदायी संस्था का नाम- ग्रामीण निर्माण विभाग अस्थाई प्रखण्ड डीडिहाट

विषय - जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडिहाट में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 314/ 2018 के क्रम में डीडिहाट (ग्राम ननपापो) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 हे0 वन पंचायत भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, अस्थाई प्रखण्ड डीडिहाट को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 314/2018 के परिपालन में जनपद पिथौरागढ़ के डीडिहाट (ग्राम ननपापो) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हैलीपैड निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी डीडिहाट के कार्यालय पत्र संख्या 903, दिनांक 30.08.2019 द्वारा ग्राम ननपापो में खसरा नम्बर 1376 मध्ये 0.15 हे0 भूमि का प्रस्ताव जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया था (संलग्न 01), तदोपरान्त अपर सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 839, दिनांक 20.10.2019 द्वारा उपरोक्त भूमि को विभागीय पायलेटों द्वारा उपयुक्त बताते हुए आंगणन गठित कर उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2163, 25 नवम्बर 2019 द्वारा आंगणन गठित करने हेतु आदेशित किया गया (संलग्न 02 व 03)। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, देहरादून के पत्र संख्या 182, दिनांक 26.03.2021 द्वारा 77.12 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए 30.85 लाख रु0 प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी (संलग्न 04)। प्रस्तावित भूमि के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर वन विभाग द्वारा प्रत्येक स्तर पर लगाई गई आपत्तियों के निराकरण उपरान्त भारत सरकार को प्रेषित किया गया (संलग्न 05)। सहायक महानिरीक्षक (वन) भारत सरकार के पत्र 08 बी/यू0पी0सी0/09/39/2023 एफ0सी0 86, दिनांक 28.04.2023 के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 2541, दिनांक 09.05.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव की गैर साइट विशिष्ट (Non Site Specific Activity) होने के कारण विचार नहीं किया जा सकता है (संलग्न 06)।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त भूमि में कहीं पर भी पेड़ कटान नहीं हो रहा है, भूमि जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के माध्यम से प्रस्तावित की गयी है (संलग्न 07 व 08) तथा पूर्व में चयनित भूमि नागरिक उड्डयन विभाग महानिदेशालय के हैलीकॉप्टर्स की सुरक्षा सम्बन्धित दिशा निर्देश के अनुसार मानकों के अनुरूप नहीं होने तथा क्षेत्र में अन्य कोई उपयुक्त भूमि न होने के कारण ही वन भूमि का चयन किया गया है। योजना हेतु उक्त चयनित स्थल के अतिरिक्त गैर वन भूमि चयन हेतु भी प्रयास किये गये किन्तु क्षेत्रान्तर्गत कोई भी उपयुक्त स्थल उपलब्ध न होने के कारण ही वन भूमि का चयन किया गया है (संलग्न 09 व 10)। उक्त भूमि को उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, देहरादून के विभागीय पाइलटों द्वारा भी उपयुक्त पाया गया है जिसकी पुष्टि अपर सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 839, दिनांक 20.10.2019 द्वारा भी की गयी है (संलग्न 02)। जिस कारण यह Non Site Specific Activity नहीं है। उक्त भूमि का चयन जिलाधिकारी व उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित/चयनित किया गया है तथा हैलीपैड का निर्माण उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा चयनित भूमि पर ही कराया जाना उचित होगा। उक्त कार्य को जनहित में पूर्ण किये जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों व शासन स्तर से लगातार निर्देशित किया जा रहा है।

अतः कृपया उक्त कार्य की महत्ता तथा आवश्यकता को देखते हुए निर्माण कार्य हेतु उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


अधिसूची अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
अस्थाई प्रखण्ड डीडिहाट।

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

25 सुभाष रोड, देहरादून -248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स: 0135-2653010

ईमेल - moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE

INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./09/39/2023/एफ.सी./86

दिनांक: 28/04/2023

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी घोषण संख्या-314/2018 जनपद- पिथौरागढ़ में डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हेलीपैड के निर्माण हेतु 0.15 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal no. FP/UK/OTHERS/146642/2021)

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 2085/FP/UK/OTHERS/146642/2021 दिनांक 03.03.2023 (Received online on 29.03.2023)

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि हेलीपैड के निर्माण हेतु दिशा-निर्देशों (comprehensive guidelines) में कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं हैं साथ ही अमुख प्रस्ताव के साइट विशिष्ट (site specific activity) होने से संबंधित कोई तकनीकी औचित्य प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित गतिविधि गैर साइट विशिष्ट (non-site specific activity) है तथा दिनांक 24.01.2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार, एफ०सी०ए० 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific activity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार है:-

"Utilization of forest area for establishing industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are non-site-specific activities and cannot be considered on forest land as a rule. For that matter, no non-site specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980".

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह उक्त उद्देश्य हेतु गैर-वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

ATTESTED
Assistant Engineer,
Rural Work Deptt.
DIDHAT (Pithoragarh)

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)



कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
Email: cfkumaon_north@rediffmail.com, (05962) 231099 Fax: 230397
पत्रांक - 264 / 12-1-97 अल्मोड़ा दिनांक - 28/04/2023



सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडिहाट में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 314/2018 के क्रम में डीडिहाट (ग्राम ननपापो) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 है० वन पंचायत भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, अस्थाई प्रखण्ड डीडिहाट को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 08वी/यू०सी०पी०/०९/३९/२०२३/एफ०सी०/८६ दिनांक 28.04.2023 तथा आपका पत्रांक 167/12-1 दिनांक 13.07.2023।

महोदय,

भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावक विभाग के द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में यह कहते हुए कि प्रस्ताव हेतु चयनित भूमि में वृक्षों का कटान न होने, भूमि जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तावित होने, पूर्व में चयनित भूमि नागरिक उड्डयन के अनुसार न होने, प्रस्तावित भूमि को उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, देहरादून के विभागीय पायलटों द्वारा उपयुक्त पाये जाने के आधार पर Non-site specific नहीं माना गया है।

पुनः भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार ने हैलीपैड निर्माण को site specific site न मानते हुए इसके लिए गैर वानिकी भूमि चयनित किये जाने के सुझाव दिये थे। डीडिहाट तहसील में प्रस्तावक विभाग द्वारा ननपापो क्षेत्र के अन्यत्र कोई गैर वानिकी भूमि चयनित किये जाने के प्रयासों का उल्लेख नहीं है, जिससे क्या प्रयास किये गये इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ऐसे में प्रकरण को अग्रेसरित किया जाना अपरिपक्व है।

अतः प्रस्ताव की सभी प्रतियां आपको मूल में इस आशय से लौटायी जाती है कि प्रस्तावक विभाग से भारत सरकार के पत्र-मंशा के अनुरूप कार्यवाही कराते हुए डीडिहाट तहसील अन्तर्गत सर्वेक्षण उपरान्त अन्यत्र कोई गैर वानिकी भूमि चयन कर अवगत कराए।

ATTESTED
Assistant Engineer,
Rural Work Deptt.
DIDIHAT (Pithoragarh)

भवदीय,
(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डीडिहाट जिला पिथौरागढ़। 30 अगस्त

पत्रांक- 903 / घोषणा-सेल/2019-20

दिनांक:- जुलाई, 2019

सेवा मे,

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़।

विषय-मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई घोषणा सं0-314/2018 डीडिहाट में हैलीपैड निर्माण हेतु भूमि/क्षतिपूरक भूमि/एफ.आर.ए. प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार की घोषणा सं0 314/2018 डीडिहाट में हैलीपैड निर्माण हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 ज्ञाप/घो0से0/2017-18 दिनांक 20 जून 2018 द्वारा प्रस्तावित भूमि जो ग्राम पमस्यारी, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र देवविसौना गै0ज0वि0 ख0खा संख्या-56 के खेत नम्बर 04 श्रेणी 9(3)ख-जंगल के तोक झण्डाधार में चयनित की गयी थी जो नागरिक उड्डयन विभाग महानिदेशालय के हैलीकॉप्टर्स की सुरक्षा सम्बन्धित दिशानिर्देश पत्र दिनांक 21.12.2005 की अनुसूची-1 के अनुसार मानकों के अनुरूप नहीं होने से अस्वीकृत हो जाने के कारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी डीडिहाट, उप प्रभागयी वनाधिकारी बेरीनाग, भू-वैज्ञानिक जिला टास्कफोर्स पिथौरागढ़ तथा संबंधित राजस्व निरीक्षक/उप निरीक्षक डीडिहाट की उपस्थिति में दिनांक 10.07.2019 तथा 27.07.2019 को संयुक्त निरीक्षण कर ग्राम ननपापों के गैर ज0वि0 खतौनी संख्या 73 श्रेणी 9(3)क-भूमि एवं वन जिनका वर्गीकरण किसी संस्था के अधीन हो (वन पंचायत) के खसरा नम्बर 1376 मध्ये 0.1500 हे0 भूमि हैलीपैड निर्माण हेतु चयनित कर प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त भूमि में कोई पेड़ स्थित नहीं हैं जो वृक्ष विहीन है तथा सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। प्रस्तावित भूमि की चौहदी निम्नवत है:- पूरब दिशा में भूमि वन पंचायत, पश्चिम दिशा में सरहद जंगलाद, उत्तर दिशा में मिनी स्टेडियम हेतु प्रस्तावित भूमि व दक्षिण दिशा में भूमि वन पंचायत स्थित है। (प्रस्तावित भूमि का खसरा, खतौनी, सजरा, सैटेलाइट मानचित्र तथा फोटोग्राफ संलग्न है।)

2-मा0 मुख्य मंत्री जी की उक्त घोषणा के संदर्भ में दिनांक 12.07.2019 को ग्राम सभा ननपापो द्वारा खुली बैठक में उपरोक्त घोषणाओं हेतु ग्राम ननपापो में ज0वि0ख0 श्रेणी-9(3)क की खाता खतौनी सं0 73 के खसरा सं0 1373, 1374, 1375 तथा 1376 म0 कुल 0.950 हे0 प्रस्तावित भूमि हेतु सर्वसम्मति से अनापत्ति दी गयी है तथा यह भी घोषणा की गयी है कि उक्त भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत किसी भी ग्रमवासी का कोई भी दावा नहीं बनता। तदक्रम में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा भी औपचारिक रूप से अपनी संस्तुति प्रदान की गयी है, जो संलग्न है। (अनापत्ति प्रस्ताव प्रति संलग्न)

3-उपरोक्त हैलीपैड तक सड़क संयोजन हेतु लो.नि.वि. डीडिहाट द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण कर आख्या भी उपलब्ध करायी गयी है ताकि दैवीय आपदा/वी.वी.आई.पी. कार्यक्रम के दौरान सहज प्रबंधन हो सके।

4-उपरोक्त हैलीपैड हेतु प्रस्तावित भूमि 0.800 के सापेक्ष दुगुनी भूमि ग्राम ननपापो के खतौनी खाता संख्या 75 श्रेणी-9(3)ड-बंजर काबिज आबाद-के खसरा संख्या 5703 म0 0.266 हे0 तथा 5708 म0 0.095 हे0 कुल 0.361 हे0 भूमि तहसील डीडिहाट/राजस्व विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। (प्रस्ताव, खतौनी, खसरा तथा सजरा संलग्न है)

5-अतः उपरोक्त कम में मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई घोषणा सं0- 314/2018 डीडिहाट में हैलीपैड निर्माण हेतु भूमि तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि की सर्वेक्षण आख्या/प्रस्ताव तथा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत ग्राम वनाधिकार समिति/ग्राम सभा तथा उप खण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के अनापत्ति प्रस्ताव सहित सम्पूर्ण पत्रावली संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न- उक्तानुसार (कुल 12/नग)।

उप जिलाधिकारी
डीडीहाट

प्रतिलिपि:-जिला समाज कल्याण अधिकारी/सदस्य सचिव जिला वनाधिकार समिति को उपरोक्त कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/8/2019
जिला समाज कल्याण अधिकारी

ATTESTED
Assistant Engineer,
Rural Work Deptt.
DIDIHAT (Pithoragarh)

उप जिलाधिकारी
डीडीहाट

संख्या- 897 / IX / 2019-2(03)2018

प्रेषक

सोनिका,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग, (RWD)
तमोवन रोड, रायपुर, उत्तराखण्ड देहरादून।

नागरिक उड्डयन अनुभाग- देहरादून दिनांक 20 नवम्बर 2019

विषय- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-314/2018 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-314/2018 डीडोहट में हैलीपैड का निर्माण किया जायेगा का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के स्थान डीडोहट में हैलीपैड बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है। यह भी अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 432 दिनांक 30 अगस्त 2019 द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है साथ जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा हैलीपैड निर्माण हेतु स्थान ननपापों में कुल 0.1500 हे० भूमि का जयन करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसे विभागीय पायलेटों द्वारा उपयुक्त पाया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया जनपद पिथौरागढ़ के स्थान ननपापों में हैलीपैड बनाये जाने के संबंध में आगणन गठित करते हुए उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के माध्यम से शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि सुसमय अंदर कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,

(सोनिका)

अपर सचिव।

संख्या- (1)/IX/2019-2(03)2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग की सचिव महोदय को सूचनाार्थ।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया कार्यदायी संस्था से समन्वय स्थापित करते हुए आगणन अपनी सरसुति सहित ये तशीख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा में,

(चिरंजी लाल)

अनु सचिव।

ATTESTED
Assistant Engineer,
Rural Work Deptt.
DOHAT (Pithoragarh)

संख्या /IX/2019-2(03)2018

प्रेषक,

सोनिका,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग, (RWID)

तपोवन रोड, रायपुर, उत्तराखण्ड देहरादून।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

देहरादून

दिनांक

20 नवम्बर, 2019

विषय:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-314/2018 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-314/2018 "डीडीहाट में हेलीपैड का निर्माण किया जायेगा" का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के स्थान डीडीहाट में हेलीपैड बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है। यह भी अवगत कराना है कि कार्यालय आप संख्या 432 दिनांक 30 अगस्त, 2019 द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को कार्यवाही संख्या नामित किया गया है साथ जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा हेलीपैड निर्माण हेतु स्थान नक्शों में कुल 0.1500 हे० भूमि का चयन करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसे विभागीय पायलटों द्वारा उपयुक्त पाया गया है।

• इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया जनपद पिथौरागढ़ के स्थान नक्शों में हेलीपैड बनाये जाने के संबंध में आमजन गूढित करते हुए उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के माध्यम से शासन का तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि सुरामय अग्रतः कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,

(सोनिका)

अपर सचिव।

कार्यालय मुख्य अभियंता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक-2163/मा०नि०वि०/प्राक्कलन/2019-20 दिनांक 25 नवम्बर-2019
प्रतिलिपि :- 1- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडीहाट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप डीडीहाट में हेलीपैड निर्माण कार्य का प्राक्कलन एक सप्ताह के अन्दर तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उक्त प्राक्कलन टी०ए०सी० करने के उपरान्त इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।



ATTESTED

Assistant Engineer,
Rural Road Dept.
DIDIHAT (Pithoragarh)

मुख्य अभियंता (स्तर-1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

प्रेषक,

डॉ० आशीष चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

देहरादून: दिनांक 26 मार्च, 2021

विषय: मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-314/2018 जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र डीडिहाट(ग्राम ननपापों) में हैलीपैड का निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-314/2018 जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र डीडिहाट(ग्राम ननपापों) में हैलीपैड का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रेषित गठित आंगणन धनराशि रू० 85.98 लाख (रू० पिचासी लाख अठ्ठानबे हजार मात्र) के सपेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि रू० 77.12 लाख (रू० सतहत्तर लाख बारह हजार मात्र) की निम्नांकित कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि (40 प्रतिशत) रू० 30.85 लाख (रू० तीस लाख पिचासी हजार मात्र) को आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० स०	आवंटित कार्य का नाम	आंगणन की लागत (लाखमें)	टी०ए०सी० की निर्माण हेतु ओचित्यपूर्ण संस्तुत लागत		धनराशि (लाख में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि प्रथम किश्त के रूप में। (लाख में)
			सिविल कार्य (लाख में)	अधिप्राप्ति नियमावली (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7
1	जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।	85.98	77.12	-----	77.12	30.85

ATTESTED

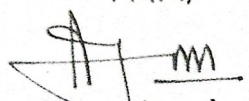
Assistant Engineer,
Rural Work Deptt.
DIDIHAT (Pithoragarh)

- 1- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत/आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 2- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
- 3- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 4- निर्माण सामाग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामाग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्यक करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामाग्री ही प्रयोग में लायी जायें।
- 5- विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- 6- स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमत अनिवार्य रूप से कर ली जाय।
- 7- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XVI-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
- 8- आंगणन गठित करते समय तथा कार्य कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, संशोधित 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 9- अवमुक्त की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा किया जायेगा।
- 10- निदेशक राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय, उक्त धनराशि को राजकोष से आहरित कर यूकाडा के खाते में जमा करेंगे यूकाडा द्वारा उक्त धनराशि को कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर सूचना निर्धारित प्रपत्र पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि उक्त धनराशि दिनांक 31.03.2021 तक शेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।
- 12- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-03-हैलीपैड व हैंगर का निर्माण-53-वृहत्त निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आ0शा0स0 301 /XXVII(2)/2020 दिनांक 25 मार्च, 2021 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

ATTESTED

 Assistant Engineer,
 Rural Work Deptt.
 DIDHAT (Pithoragarh)

भवदीय,

 (डॉ० आशीष चौहान)
 अपर सचिव।

संख्या- ~~182~~ (1)IX-3/2020-21-02(03)/2018 तददिनांकित

- 1-महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, सी-1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।
- 2-महालेखाकार (ए एण्ड ई) गढी कैन्ट, देहरादून।
- 3-सचिव, वित्त अनुभाग-1/2 उत्तराखण्ड शासन।
- 4-निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून।
- 5-आयुक्त कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 6- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 7-मुख्य अभियंता स्तर-1 ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 8-अधिशाली अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, डीडिहाट पिथौरागढ़।
- 5-मुख्य कोषाधिकारी, 23 लक्ष्मी रोड, डाटा सेन्टर, देहरादून।
- 6-कोषाधिकारी, देहरादून।
- 7-एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8-वित्त नियंत्रक, यूकाडा/राजकीय नागरिक उड्डयन जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून।
- 9-वित्त अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन।
- 9-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)
अनु सचिव।

ATTESTED

Assistant Engineer,
Rural Work Deptt.
DIDHAT (Pithoragarh)

TimeLine Details

Proposal received date at each stage of flow.

21/02/2023-05

A. General Details

(i). Proposal No. : FP/UK/Others/146642/2021

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Construction of Helipad in Didihat (Village Nanpapo)

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Proposal for Helipad in Didihat is Mainly made to provide helitaxi service & to promote hill tourism, build basic elements of infrastructure in Didihat & Nearby Area.

(iv). State : Uttarakhand

(v). Category of the Project : Others

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Non Linear

(vii). Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 0.15

B. Time Line

Proposal No.	Submitted by User Agency	Query for Shortcoming(if any) by Nodal Officer	Resubmission of Proposal by User Agency	Query by Nodal Officer for submitting Hard Copies	Uploading (by U.A.) of copies of receipt received from DFO & DC	Division	Circle	Nodal Office	State Government	Regional Office	Stage-I Approval	Stage-II Approval
FP/UK/Others/146642/2021	29/08/2022	aa		30/08/2022	06/09/2022	Pithoragarh : 08/09/2022	North : Kumaun 01/02/2023 (Pithoragarh)	Uttarakhand 23/02/2023	Uttarakhand 06/03/2023	Dehradun: 29/03/2023		

C. Essential Details Sought History

Communication between Regional Office & State Government	Communication between State Government & Nodal Officer	Communication between Nodal Officer & Circle	Communication between Circle & Division	Communication between Division & User Agency
Query raised by Regional Office (Dehradun) on: 28/04/2023	Query raised by State Government (Uttarakhand) on: 28/04/2023	Query raised by Nodal Officer (Uttarakhand) on: 28/04/2023	Query raised by Circle (North Kumaun) on: 08/02/2023 Replied by DFO (Pithoragarh) on: 09/02/2023 Query raised by Circle (North Kumaun) on: 29/04/2023 Replied by DFO (Pithoragarh) on: 18/07/2023 Query raised by Circle (North Kumaun) on: 31/07/2023 Replied by DFO () on:	Query raised by DFO (Pithoragarh) on: 15/09/2022 Replied by UA on : 07/11/2022 Query raised by DFO (Pithoragarh) on: 03/12/2022 Replied by UA on : 03/12/2022 Query raised by DFO (Pithoragarh) on: 01/05/2023 Replied by UA on : 24/06/2023 Query raised by DFO (Pithoragarh) on: 03/08/2023 Replied by UA on :

NOTE:- Proposal is pending at User Agency due to EDS raised by Regional Office.

ATTESTED

Assistant Engineer,
Rural Work Deptt.
DIDIHAT (Pithoragarh)

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

25 सुभाष रोड, देहरादून -248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स: 0135-2653010

ईमेल - moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE

INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN

25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./09/39/2023/एफ.सी./86

दिनांक: 28/04/2023

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी घोषण संख्या-314/2018 जनपद- पिथौरागढ़ में डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हेलीपैड के निर्माण हेतु 0.15 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal no. FP/UK/OTHERS/146642/2021)

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 2085/FP/UK/OTHERS/146642/2021 दिनांक 03.03.2023 (Received online on 29.03.2023)

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि हेलीपैड के निर्माण हेतु दिशा-निर्देशों (comprehensive guidelines) में कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं हैं साथ ही अमुख प्रस्ताव के साइट विशिष्ट (site specific activity) होने से संबंधित कोई तकनीकी औचित्य प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित गतिविधि गैर साइट विशिष्ट (non-site specific activity) है तथा दिनांक 24.01.2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार, एफ०सी०ए० 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific activity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार है:-

"Utilization of forest area for establishing industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are non-site-specific activities and cannot be considered on forest land as a rule. For that matter, no non-site specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980".

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह उक्त उद्देश्य हेतु गैर-वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

G. Prakash Narayan
(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

ATTESTED
Assistant Engineer,
Rural Work Deptt.
DIDIHAT (Pithoragarh)

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

पिथौरागढ़

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

सेवा में,

सचिव,
नागरिक उड्डयन,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

संख्या-2003/17/पन्द्रह-रा0स0(घोषणा-सेल)/2019

दिनांक सितम्बर 17, 2019

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा संख्या-314/2018 "डीडीहाट में हैलीपैड का निर्माण किया जायेगा" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि घोषणा संख्या-314/2018 "डीडीहाट में हैलीपैड का निर्माण किया जायेगा" के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, डीडीहाट को भूमि चयन कर प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उप जिलाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अपने पत्र संख्या-903/घोषणा-सेल/2019-20 30 अगस्त 2019 से हैलीपैड निर्माण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उप जिलाधिकारी डीडीहाट की अध्यक्षता में गठित समिति उप प्रभागीय वनाधिकारी, बेरीनाग, भू-वैज्ञानिक जिला टास्कफोर्स पिथौरागढ़ तथा संबंधित राजस्व निरीक्षक/उपनिरीक्षक डीडीहाट की उपस्थिति में दिनांक 10.07.2019 तथा 27.07.2019 को संयुक्त निरीक्षण कर ग्राम ननपापों के गै0 ज0वि0 खतौनी संख्या-73 श्रेणी 9(3)क-भूमि एवं वन जिनका वर्गीकरण किसी संस्था के अधीन हो (वन पंचायत) के खसरा नं0 1376 मध्ये 0.1500 हे0 भूमि हैलीपैड निर्माण हेतु चयनित कर प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त भूमि में कोई पेड़ स्थित नहीं है जो वृक्षविहिन है तथा सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। प्रस्तावित भूमि की चौदहरी निम्नवत है। पूरब दिशा में भूमि वन पंचायत, पश्चिम दिशा में सरहद जंगलात, उत्तर दिशा में मिनी स्टेडियम हेतु प्रस्तावित भूमि व दक्षिण दिशा में भूमि वन पंचायत स्थित है।

उक्त घोषणा के सम्बन्ध में दिनांक 12.07.2019 को ग्राम सभा ननपापों द्वारा खुली बैठक में उपरोक्त घोषणा हेतु सर्वसम्मति से अनापत्ति दी गयी है। तथा यह भी घोषणा की गई है, कि उक्त भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत किसी भी ग्रामवासी का कोई भी दावा नहीं बनता। तत्कम में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा भी औपचारिक रूप से अपनी संस्तुति प्रदान की गई है। उपरोक्त हैलीपैड हेतु प्रस्तावित भूमि 0.800 हे0 के सापेक्ष दोगुनी भूमि ग्राम ननपापों के खा0ख0सं0 75 श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिज आबाद के खसरा संख्या 5703 मध्ये 0.266 हे0 तथा 5708 मध्ये 0.095 हे0 कुल 0.361 हे0 भूमि तहसील डीडीहाट/राजस्व विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है।

अतः उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु हैलीपैड निर्माण हेतु भूमि तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि की सर्वेक्षण आख्या/प्रस्ताव तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत ग्राम वनाधिकारी समिति/ग्राम सभा तथा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के अनापत्ति सहित प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार करने का कष्ट करें। संलग्न: यथोपरि।

ATTESTED

Assistant Engineer,
Rural Work Deptt.
DIDHAAT (Pithoragarh)

भवदीय,

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड का निर्माण।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 22/07/19 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन पंचायत भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई प्रयोजना से कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है।

प्रस्तावित वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	वनप्लाक/ कम्पाउन्ड / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग								योग
					20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1.	आरक्षित वन भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	सिविल सोयम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	वन पंचायत	खसरा सं० 1376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	संरक्षित वन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग :- वन भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग :-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ह0/-
ह0/-
ह0/-
ह0/-
राजि अधिकारी
डीडिहाट
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/-
राजस्व विभाग
असिस्टेंट जिलाधिकारी
डीडिहाट
जिला- पिथौरागढ़
उत्तराखण्ड

ह0/-
जिलाधिकारी
जिला- पिथौरागढ़

असिस्टेंट जिलाधिकारी
डीडिहाट
जिला- पिथौरागढ़
उत्तराखण्ड
ATTESTED
Assistant Engineer,
Rural Work Deptt.
DIDIHAT (Pithoragarh)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डीडिहाट जिला पिथौरागढ़। ३० अगस्त

क्र.सं- १०५. / घोषणा-सेल/2019-20

दिनांक- १ जुलाई, 2019

५० अ/ घोषणा

सेवा में,

✓ जिलाधिकारी
पिथौरागढ़।

५० अ/

विषय-मा० मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई घोषणा सं०-314/2018 डीडिहाट में हैलीपैड निर्माण हेतु भूमि/क्षतिपूरक भूमि/एफ.आर.ए. प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। 03 SEP 2019

मा० मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार की घोषणा सं० 314/2018 डीडिहाट में हैलीपैड निर्माण हेतु इसी कार्यालय के पत्र सं० ज्ञाप/घो०से०/2017-18 दिनांक 20 जून 2018 द्वारा प्रस्तावित भूमि जो ग्राम पमस्यारी, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र देवविसौना गै०ज०वि० ख०खा संख्या-56 के खेत नम्बर 04 श्रेणी 9(3)ख-जंगल के तोक ड्रण्डाधार में चयनित की गयी थी जो नागरिक उड्डयन विभाग महानिदेशालय के हैलीकॉप्टर्स की सुरक्षा सम्बन्धित दिशानिर्देश पत्र दिनांक 21.12.2005 की अनुसूची-1 के अनुसार मानकों के अनुरूप नहीं होने से अस्वीकृत हो जाने के कारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी डीडिहाट, उप प्रभागयी वनाधिकारी बेरीनाग, भू-वैज्ञानिक जिला टास्कफोर्स पिथौरागढ़ तथा संबंधित राजस्व निरीक्षक/उप निरीक्षक डीडिहाट की उपस्थिति में दिनांक 10.07.2019 तथा 27.07.2019 को संयुक्त निरीक्षण कर ग्राम ननपापो के गैर ज०वि० खतौनी संख्या 73 श्रेणी 9(3)क-भूमि एवं वन जिनका वर्गीकरण किसी संस्था के अधीन हो (वन पंचायत) के खसरा नम्बर 1376 मध्ये 0.1500 हे० भूमि हैलीपैड निर्माण हेतु चयनित कर प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त भूमि में कोई पेड़ स्थित नहीं हैं जो वृक्ष विहीन है तथा सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। प्रस्तावित भूमि की चौहदी निम्नवत है:- पूरब दिशा में भूमि वन पंचायत, पश्चिम दिशा में सरहद जंगलाद, उत्तर दिशा में मिनी स्टेडियम हेतु प्रस्तावित भूमि व दक्षिण दिशा में भूमि वन पंचायत स्थित है। (प्रस्तावित भूमि का खसरा, खतौनी, सजरा, सैटेलाइट मानचित्र तथा फोटोग्राफ संलग्न है।)

2-मा० मुख्य मंत्री जी की उक्त घोषणा के संदर्भ में दिनांक 12.07.2019 को ग्राम सभा ननपापो द्वारा खुली बैठक में उपरोक्त घोषणाओं हेतु ग्राम ननपापो में ज०वि०ख० श्रेणी-9(3)क की खाता खतौनी सं० 73 के खसरा सं० 1373, 1374, 1375 तथा 1376 म० कुल 0.950 हे० प्रस्तावित भूमि हेतु सर्वसम्मति से अनापत्ति दी गयी है तथा यह भी घोषणा की गयी है कि उक्त भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत किसी भी ग्रामवासी का कोई भी दावा नहीं बनता। तदक्रम में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा भी औपचारिक रूप से अपनी संस्तुति प्रदान की गयी है, जो संलग्न है। (अनापत्ति प्रस्ताव प्रति संलग्न)

3-उपरोक्त हैलीपैड तक सड़क संयोजन हेतु लो.नि.वि. डीडिहाट द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण कर आख्या भी उपलब्ध करायी गयी है ताकि दैवीय आपदा/वी.वी.आई.पी. कार्यक्रम के दौरान सहज प्रबंधन हो सके।

4-उपरोक्त हैलीपैड हेतु प्रस्तावित भूमि 0.800 के सापेक्ष दुगुनी भूमि ग्राम ननपापो के खतौनी खाता संख्या 75 श्रेणी-9(3)ड-बंजर काबिज आबाद-के खसरा संख्या 5703 म० 0.266 हे० तथा 5708 म० 0.095 हे० कुल 0.361 हे० भूमि तहसील डीडिहाट/राजस्व विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। (प्रस्ताव, खतौनी, खसरा तथा सजरा संलग्न हैं)

5-अतः उपरोक्त क्रम में मा० मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई घोषणा सं०- 314/2018 डीडिहाट में हैलीपैड निर्माण हेतु भूमि तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि की सर्वेक्षण आख्या/प्रस्ताव तथा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत ग्राम वनाधिकार समिति/ग्राम सभा तथा उप खण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के अनापत्ति प्रस्ताव सहित सम्पूर्ण पत्रावली संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न- उक्तानुसार (कुल 12 नग)।

उप जिलाधिकारी
डीडीहाट

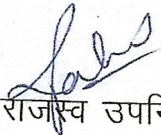
प्रतिलिपि:- जिला समाज कल्याण अधिकारी/सदस्य सचिव जिला वनाधिकार समिति को उपरोक्त क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

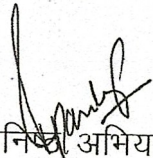
ATTESTED
Assistant Engineer,
Rural Work Deptt.
DIDIHAT (Pithoragarh)

उप जिलाधिकारी
डीडीहाट

प्रमाण पत्र

ग्राम ननपापो में हैलिपैड निर्माण हेतु वर्तमान में चयनित स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल हेतु पूर्व में व जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अन्य उपयुक्त स्थलों के चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया, किन्तु क्षेत्रान्तर्गत अन्य कोई उपयुक्त स्थल उपलब्ध न होने के कारण ही वन भूमि का चयन किया गया है।


राजिव उपनिरीक्षक
क्षेत्र- टांगड़ा

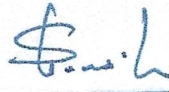

कनिष्क अभियन्ता
ग्रा0नि0वि0 डीडिहाट


सहस्यक अभियन्ता
ग्रा0नि0वि0 डीडिहाट
उत्तरखण्ड डीडिहाट


तहसीलदार, डीडिहाट
पिथौरागढ़
उत्तरखण्ड

ATTESTED

Assistant Engineer,
Rural Work Deptt.
DIDIHAT (Pithoragarh)


उपजिलाधिकारी
डीडीहाट
जिला- पिथौरागढ़
उत्तरखण्ड

मो: 91111
फो: 111